

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुंझुनू  
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 39/2017

दायर दिनांक-27.02.2017

- 1 धोलाराम पुत्र शिवराम सैनी
- 2 गणेश पुत्र शिवराम सैनी

- वादीगण

बनाम

1. खुबचंद पुत्र शिवराम सैनी
2. गोरधन पुत्र शिवराम सैनी जाति माली निवासी रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3. देवी सिंह पुत्र लादूसिंह
4. कालू सिंह पुत्र लादूसिंह
5. अर्जुन सिंह पुत्र लादूसिंह
6. रणछोर सिंह पुत्र लादूसिंह
7. थानेश्वर सिंह पुत्र अनुप सिंह
8. प्रताप सिंह पुत्र अनुप सिंह
9. भंवर सिंह पुत्र अनुप सिंह
10. सजन सिंह पुत्र केशर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
11. राजेन्द्र पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी बागवाली ढाणी तन अजीतगढ़ जिला सीकर
12. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
13. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

-प्रतिवादीगण

वकील वादी :- श्री किशोर कुमार जांगिड़

वकील प्रतिवादी :- एकपक्षीय

दावा बाबत विभाजन व  
घोषणार्थ

--:: निर्णय ::--

दिनांक : 25.04.2025

वाद वादी दिनांक 30.05.2022 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू0 अ0/2024/5713 दिनांक 12.12.2024 द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव वकील वादी सुनी गई। वादी की ओर से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार निर्णय किये जाने पर सहमति व्यक्त की। फलस्वरूप मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। वाके राजस्व ग्राम रामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 344, 345 रकबा क्रमशः 1.98, 5.45 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है:-

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	गोरधन पुत्र शिवराम सैनी जाति माली साकिन देह खातेदार काशतकार रहन बी.आर.के.जी.बी. शाखा चिराना वदस्तुर	345/1 344/1	0.340625 0.12375	

प. सी. ई. एस. (फा. ट्रे.)  
नवलगढ़

	गणेश पुत्र शिवराम सैनी जाति माली साकिन देह खातेदार रहन बदस्तुर	345/2 344/2	0.340625 0.12375	
03	खुबचंद पुत्र शिवराम सैनी जाति माली साकिन देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी	345/3 344/3	0.340625 0.12375	
4.	धोलाराम पुत्र शिवराम सैनी जाति माली साकिन देह खातेदार रहन बदस्तुर	345/4 344/4	0.340625 0.12375	
5.	अर्जुन सिंह कालूसिंह पुत्र लादूसिंह हिस्सा 1/6, रणछोर सिंह पुत्र लादूसिंह हिस्सा 1/6 जाति राजपूत थानेश्वर सिंह, प्रताप सिंह पुत्र अनुप सिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत, भंवर सिंह, सज्जन सिंह पुत्र केशर सिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत साकिन देह खातेदार	345/5	4.0875	
6.	राजेन्द्र पुत्र नारायण जाति गुर्जर बागवाली ढाणी तन अजीतगढ खातेदार रहन केनरा बैंक नवलगढ	344/5	0.2475	
7.	अर्जन सिंह, कालू सिंह पुत्र लादूसिंह हिस्सा 1/5 रणछोर सिंह पुत्र लादूसिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत थानेश्वर सिंह, प्रताप सिंह पुत्र अनुप सिंह हिस्सा 2/5 जाति राजपूत, भंवरसिंह पुत्र केशर सिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत साकिन देह खातेदार काश्तकार	344/6	1.2375	

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुशील कुमार सैनी )  
सहायक कलक्टर एवं कार्यवाही अधिकारी, मेजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रैक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
 अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
 पीठासीन अधिकारी :- सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)  
 मुकदमा नम्बर 39/2017

दावा : घोषणा व विभाजन

( धोलाराम बनाम खुबचंद आदि )

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी, वकील वादीगण मनजानिव मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिव- मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 25.04.2025 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। वाके राजस्व ग्राम रामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 344, 345 रकबा क्रमशः 1.98, 5.45 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	गोरधन पुत्र शिवराम सैनी जाति माली साकिन देह खातेदार काश्तकार रहन बी.आर.के.जी.बी. शाखा चिराना बदस्तुर	345/1 344/1	0.340625 0.12375	
2	गणेश पुत्र शिवराम सैनी जाति माली साकिन देह खातेदार रहन बदस्तुर	345/2 344/2	0.340625 0.12375	
03	खुबचंद पुत्र शिवराम सैनी जाति माली साकिन देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी	345/3 344/3	0.340625 0.12375	
4.	धोलाराम पुत्र शिवराम सैनी जाति माली साकिन देह खातेदार रहन बदस्तुर	345/4 344/4	0.340625 0.12375	
5.	अर्जुन सिंह कालूसिंह पुत्र लादूसिंह हिस्सा 1/6, रणछोर सिंह पुत्र लादूसिंह हिस्सा 1/6 जाति राजपूत थानेश्वर सिंह, प्रताप सिंह पुत्र अनुप सिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत, भंवर सिंह, सज्जन सिंह पुत्र केशर सिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत साकिन देह खातेदार	345/5	4.0875	
6.	राजेन्द्र पुत्र नारायण जाति गुर्जर बागवाली ढाणी तन अजीतगढ खातेदार रहन केनरा बैंक नवलगढ	344/5	0.2475	
7.	अर्जन सिंह, कालू सिंह पुत्र लादूसिंह हिस्सा 1/5 रणछोर सिंह पुत्र लादूसिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत थानेश्वर सिंह, प्रताप सिंह पुत्र अनुप सिंह हिस्सा 2/5 जाति राजपूत, भंवरसिंह पुत्र केशर सिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत साकिन देह खातेदार काश्तकार	344/6	1.2375	

प. सी. सी. एस. (आ. ई.)  
 नवलगढ

सहायक कलेक्टर नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर  
राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद  
किया जाये।  
बसश्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.04.2025 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर एवं कायमलक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रेड) नवलगढ जिला शुन्धुनू